कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार।

(महात्मा गांधी नरेगा कोषांग)

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प ज्ञापांक– 4729 दिनांक 04.06.2007 एवं नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्तव्य (संशोधन) नियमावली 2012 के आलोक में निर्गत संकल्प ज्ञापांक– 6440 दिनांक–17.07.2012 के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार के अधीन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), कम्प्यूटर सहायक एवं लेखा सहायक के निम्नलिखित रिक्त पदों पर पूर्णतया अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर चयन किया जाना है।

क्र0सं0	पदनाम	रिक्तियों की संख्या			
		अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	कुल
1	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	09	07	01	17
2	लेखा सहायक	03	02	01	06
3	कम्प्यूटर सहायक	04	03	01	08

नोट :– रोस्टर के आधार पर रिक्तियों की संख्या में वृद्धि/कमी हो सकती है।

2. तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), कम्प्यूटर सहायक एवं लेखा सहायक के रिक्त पद हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने के लिए आवश्यक योग्यताधारी/ अहर्त्ताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप लातेहार जिले के वेबसाईट **www.latehar.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। तत्पश्चात आवेदन पत्र भरकर, फोटोग्राफ, शपथ पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र तथा परीक्षाओं के अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए दिनांक– 12.03.2016 को अपराह्न 05 बजे तक निम्न पते पर सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित समयसीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा :–

पताः–
उप विकास आयुक्त
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार।
समाहरणालय भवन, एनेक्सी 'सी', पिन– 829206

पदनाम	शैक्षणिक योग्यता
तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	**a. अनिवार्य योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा। **b. अतिरिक्त योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक0/बी0ई0/बी.सी.ए0., बी.एस.सी. कम्प्यूटर आनर्स/ एम.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस
कम्प्यूटर सहायक	**a. अनिवार्य योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0एस0सी0 कम्प्यूटर आनर्स/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर सामान्य/ बी0सी0ए0 या स्नातक उत्तीर्णता के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण। **b. अतिरिक्त योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0सी0ए0/ पी0जी0डी0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस

लेखा सहायक	**a. अनिवार्य योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0काम आनर्स या सामान्य बी0काम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण **b. अतिरिक्त योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0काम/ बी0सी0ए0/ एम0सी0ए0/ पी0जी0डी0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस/

4. आयु सीमा :– दिनांक 01.02.2016 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम
   क). अनारक्षित :– 35 वर्ष
   ख). महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग) :– 38 वर्ष
   ख). अ0जा0/अ0ज0जा0 (महिला/पुरूश) :– 40 वर्ष

5. राष्ट्रीयता :– आवेदक भारत का नागरिक हो।

6. परिलब्धि :–

क्र.	पदनाम	कुल परिलब्धि
1.	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	17520/-
2.	कम्प्यूटर सहायक	8000/-
3.	लेखा सहायक	8000/-

चयन के नियम एवं शर्तें :

7. इन पदों पर चयन पूर्णतया संविदा के अधार पर अस्थायी रूप से होगा तथा बिना कारण ऐसे चयनित व्यक्ति को सेवा में नियमित करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

8. प्रारंभिक चरण में चयन एक वर्ष के लिए किया जायेगा तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष के लिये गठित चयन समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय के अनुरूप यदि उनकी सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो चयन समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसे सेवा का नवीकरण किया जा सकेगा।

9. संविदा के आधार पर चयन का नियम 11(ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसा चयन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

10. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसे चयन से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे।

11. उपर्युक्त पद पर कार्य करने के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के द्वारा किसी एक जिला में हीं आवेदन किया जा सकेगा। साथ हीं आवेदन पत्र के साथ उन्हें इस आशय का एक शपथ पत्र भी अर्पित करना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। उनके द्वारा अर्पित शपथ पत्र यदि कभी भी असत्य पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी विशेष का चयन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

12. आवेदन–पत्र के लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम लाल स्याही से लिखना अनिवार्य हैं।

उपायुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
लातेहार।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदित पद का नाम :–
2. आवेदक का नाम :–
3. पिता / पति का नाम :–
4. जन्म तिथि :–
5. वर्तमान पता :–
   (मोबाईल / दूरभाष सहित)

6. स्थाई पता :–

7. आरक्षण कोटि :–
8. लिंग :पुरूष / महिला :–
9. राष्ट्रीयता :–
10. शैक्षणिक योग्यता :–

हाल का खींचा हुआ
स्व अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ

क्र.	परीक्षा का नाम	कुल प्राप्तांक	विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5

11. अतिरिक्त योग्यता :–

12. अनुभव का विवरणी एवं प्रमाण पत्र (यदि हो तो) :– ....

मैं यह घोषणा करता / करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारियां मेरे जानकारी से सत्य है। मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

स्थान :–
दिनांक :–

आवेदक / आवेदिका का
हस्ताक्षर